

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1208 / 2022

दिनांक : 07.04.2022

श्रीमती रेखा चौधरी (RJ11096), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली) को दिनांक 02.05.2022 से 13.05.2022 तक 12 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 01.05.2022 एवं 14.05.2022 से 15.05.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली)/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली) के पद पर ही होने की संभावना है।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 06-04-2022

क्रमांक:- स्था.बी.2(4)/86/2016/2310

दिनांक 07.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं रोशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 2649 दिनांक 01.04.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती रेखा चौधरी (RJ11096), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली)।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली)।


7.4.2022
सहायक रजिस्ट्रार